जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड
(जन–सम्पर्क अनुभाग)
(प्रेस विज्ञप्ति)

दुर्घटना में मृत बिजली कर्मचारी के आश्रितों को 20 लाख रूपये
नए प्रावधान दिसम्बर–2015 से लागू

जयपुर, 30 दिसम्बर। विद्युत निगमों में कार्यरत कर्मचारी की कार्य के दौरान दुर्घटना में मृत्यु होने पर उसके आश्रितों को 20 लाख रूपये की अनुग्रह अनुदान राशि दी जाएगी। पूर्व में ऐसे कर्मचारी की मृत्यु पर उसके आश्रितों को 10 लाख रूपये की क्षतिपूर्ति राशि दी जाती थी। यह नए प्रावधान एक दिसम्बर, 2015 से प्रभावी हो गए हैं और प्रदेश की पांचों बिजली कम्पनियों पर लागू होंगे।

ऊर्जा राज्य मंत्री श्री पुष्पेन्द्र सिंह ने बताया कि प्रत्येक मामले में मृत कर्मचारी के आश्रित को विभिन्न स्त्रोतों से मंजूर कुल राहत अथवा अनुग्रह अनुदान अधिकतम 20 लाख रूपये होगा। इसमें प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री सहायता कोष व अन्य प्रावधान से मिलने वाली राशि सम्मिलित होगी।

श्री सिंह ने बताया कि विद्युत निगमों की समन्वय समिति में इसी माह हुए निर्णय के अनुसार ड्यूटी पर रहते हुए दुर्घटना में मृत्यु होने, अपने पद के कर्तव्यों का निर्वहन करते समय चोट लगने या जानबूझकर पहुंचाई गई चोट के कारण व सेवा के दौरान हिंसा के कारण मृत्यु होने पर 20 लाख रूपये का अनुग्रह अनुदान देय होगा। इसके साथ ही समन्वय समिति में यह भी निर्णय किया है कि विद्युत निगमों के कर्मचारी, जिन्होंने राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल पेंशन रैग्यूलेशंस, 1988 में सेवा निवृति लाभ के विकल्प को अंगीकृत नहीं किया है तथा विद्युत निगमों में 1 जनवरी, 2004 के बाद नियुक्त कर्मचारियों को भी कार्य के दौरान मृत्यु होने पर, उनके आश्रित भी 20 लाख रूपये अनुग्रह अनुदान राशि के हकदार होंगे।

ऊर्जा राज्य मंत्री ने बताया कि यदि किसी कर्मचारी की मुख्यालय के बाहर सामान्य स्थिति में मृत्यु हो जाती है, तो अनुग्रह अनुदान, कुल रनिंग पे बैण्ड और ग्रेड पे के अनुसार देय होगा। इसमें 10 हजार तक रनिंग पे बैण्ड और ग्रेड पे पाने वाले को 50 हजार रूपये, 10 हजार से अधिक किन्तु 20 हजार से कम वाले को 80 हजार रूपये एवं 20 हजार से अधिक पाने वाले को 1 लाख रूपये का अनुग्रह अनुदान दिया जाएगा।

विद्युत वितरण निगमों के अध्यक्ष श्री भास्कर ए. सावंत ने बताया कि विद्युत दुर्घटनाओं से होने वाले हादसों से बचाव के लिए समय–समय पर तकनीकी कर्मचारियों एवं आमजन को जागरूक करने के लिए प्रशिक्षण कार्यशालाएं आयोजित की गई है, जिसमें डिस्कॉम के मुख्य कार्मिक अधिकारी श्री वी.पी.पारीक के साथ ही अन्य तकनीकी विशेषज्ञों द्वारा सुरक्षा उपायों के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई हैं। आगामी जनवरी माह में श्रमिकों के साथ ही उनके परिवारजनों को विडियों कॉन्फ्रेन्स के माध्यम से सुरक्षा निर्देशों, उपकरणों व सावधानियों के बारे में जानकारी दी जाएगी।

———————

प्रेस विज्ञप्ति संख्या– 343/2015